न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 150/2012

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. सुन्दरलाल पुत्र सुखा
जाति–खाती, निवासी–राबडियावास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. बाबुलाल पुत्र तारूराम
2. किशोरमल पुत्र तारूराम
जातियान–खाती, निवासी–राबडियावास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
3. भंवरीदेवी पुत्री तारूराम पत्नी
मदनलाल खाती निवासी–जसनगर
तहसील–रियांबड़ी जिला–नागौर
4. केसरीदेवी पुत्री तारूराम पत्नी
कैलाश जाति–खाती निवासी–बलाडा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
5. हनुमानराम पुत्र नारायण
6. मोहनराम पुत्र नारायण
जाति–माली, निवासी–राबड़ियावास
7. लहरनाथ पुत्र शंकरनाथ
जाति–नाथ, निवासी–राबड़ियावास
8. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, (जिला–पाली)
9. प्रबन्धक, मारवाड़ ग्रामीण बैंक
शाखा–बलाड़ा, तहसील–जैतारण
10. प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे.
शाखा–जैतारण
तहसील–जैतारण जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 14.08.2012**

उपस्थित:. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 29/06/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–राबडियावास, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 608 रकबा 15–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल आयी हुई है । उक्त कृषि भूमि मे वादी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का 1/2

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हिस्सा है तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते हैं। नकल जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 की साथ पेश की है। सरहद मौजा–राबडियावास तहसील–जैतारण मे ख.नं. 426 रकबा 9–18 बीघा, ख.नं. 427 रकबा 5–15 बीघा ख.नं. 609 रकबा 7 बीघा ख.नं. 906/1 रकबा 25 बीघा, किल किता–4 कुल रकबा 47–13 बीघा आयी हूई है। उक्त कृषि भमि में वादी का 1/2 हिस्सा है तथा हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। अन्य हिस्सा प्रतिवादीगण का है। नकल जमाबंदी संवत 2065 से 2068 की साथ पेश की है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती दर्ज हैं, जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात् माफिक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार पिछले 40 वर्षो से वादी के पिता सुखा के जीवनकाल से ही बंटवाडा हो रखा है तथा मांठे मौके पर कायम है। परन्तु कानूनन बंटवाडा नही हो रखा है। वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि को खाद बीज हेतु बैंक से ऋण लेता है। तब अनेकों प्रकार की कठिनाई पैदा होती है तथा न ही अपनी कृषि भूमि का अलग से कुआ खुदवाई कर उस पर विद्युत कनेक्शन नहीं ले सकता है, न ही विकास कर सकता है। राजस्व रेकर्ड मे सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि होने से वादी को कही बार परेशानियाँ पैदा होती हैं। वादी ने दिनांक 11/08/2012 को बंटवाडा हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो स्पष्ट ईन्कार हुए, इतना ही नही वादी को प्रतिवादीगण ने यह भी ऐलानिया धमकी दी है कि उस भूमि मे काश्त नहीं करने देगें व उक्त भूमि से तुम्हे बेदखल करेगे व सामलाती कृषि भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करेगें। यदि सामलाती भूमि का किसी अजनबी केता को बैचान हस्तान्तरण कर देते है, तो एक अजनबी केता उस कृषि भूमि के मनचाहे हिस्से पर कब्जा करेगा व पक्षकारान के बीच अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी, जबकि कानून की यह मंशा है कि एक अजनबी केता बिना बंटवाडा करवाये। उक्त भूमि मे प्रवेश करता है, तो वादी को उसके साम्पैतिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा। इस कारण से प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि को बंटवाडा होने पर ही बैचान करने के कानूनी अधिकारी हैं। वादी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 9 के यहां रहन रखकर ऋण लिया इस कारण से उन्हें बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 2 ने अपने हिस्से की कृषि भूमि को एस0बी0बी0जे0 शाखा–जैतारण प्रतिवादी संख्या 10 के यहां रहन रखकर ऋण लिया हैं। इसलिए उन्हें बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार होने तथा पक्षकार बनाया हैं। वादी ने दिनांक 11/08/2012 को बंटवाड़ा हेतु कहा तो ईन्कार होने तथा वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने व सामलाती भूमि को अजनबी क्रेता को बेचान करने की धमकी देने पर वादी द्वारा यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 11/08/2012 को वादी ने प्रतिवादी को बंटवाड़ा हेतु कहा तो ईन्कार होने व उसके कब्जे काश्त में दखल करने व भूमि को किसी अन्य को बेचान करने की धमकी देने पर बमुकाम–बलाड़ा में पैदा हुआ हैं, जो श्रीमान् के अधिकार क्षैत्र में हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2, 4 तथा 5 एवं 7 से 10 तक को बावजूद तामिली / सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही को की गई। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संख्या 6 की ओर से श्री शाकिर हुसैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – राबड़ियावास में दिनांक 29/06/2015 को मुकर्रर होकर पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण जबाबदावा पेश करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा प्रति० का जबाबदावा बन्द किया गया। राजस्व लोक अदालत की भावना से चूँकि वादी विवादित भूमि के स्वयं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2065–2068 अनुसार खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित हैं, जिससे वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंट्वाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंट्वाड़ा करवाकर विभाजन प्रस्ताव/बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने उभय पक्षकारानों का जरिए राजीनामा फर्द मौका मय नजरी नक्शा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों ने बंट्वाड़ा करके विभाजन / बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उक्त बंट्वाड़ा / विभाजन पर वादी तथा प्रति० ने स्वीकारोक्ति दी हैं अर्थात् कोई आपति नहीं कर राजीनामा / सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अंकित किये हैं। लिहाजा माफिक सहमति राजीनामा बंट्वाड़ा रिपोर्ट फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29/06/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–राबडियावास, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 608 रकबा 15–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल तथा ख.नं. 426 रकबा 9–18 बीघा, ख.नं. 427 रकबा 5–15 बीघा ख.नं. 609 रकबा 7 बीघा ख.नं. 906/1 रकबा 25 बीघा, किल किता–4 कुल रकबा 47–13 बीघा भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंट्वाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	किस्म
1	सुन्दरलाल पुत्र सुखाराम कौम–खाती सा० देह खातेदार। रहन–एम०जी०बी० बलाड़ा।	609 608 906/1 426 427	7-00-00 4-05-00 12-10-00 4-19-00 2-17-00	बा०अ० बा०अ० बा०अ० बा०दो० बा०दो०	4.34 रू० 2.63 रू० 7.75 रू० 1.54 रू० 0.88 रू०
	योग	5	31-11-00		17.14 रू०
2	लेहरनाथ पुत्र शंकरनाथ कौम–नाथ 2/25 हि० बाबूलाल किशोरलाल पि० तारूराम 23/25 हि० कौम–खाती सा० देह खातेदार। रहन–किशोरलाल का हि० एसबीबीजे शाखा–जैतारण	906/03	12-10-00	बा०अ०	7.75 रू०
3	बाबुलाल किशोरलाल पि० तारूराम कौम–खाती सा० देह खातेदार। रहन–किशोरलाल का हि० एसबीबीजे शाखा–जैतारण	426/1 427/1	4-19-00 2-18-00	बा०दो० बा०दो०	1.53 रू० 0.90 रू०.
	योग	2	7-17-00		2.43 रू०

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

4	बाबुलाल किशोरलाल पि0 तारूराम, बाबुलाल किशोरलाल पि0 तारूराम, भंवरीदेवी केसरदेवी पुत्रियाँ तारूराम कौम–खाती सा0 देह खातेदार। रहन–किशोरलाल का हि0 एसबीबीजे शाखा–जैतारण	608/2	10-16-00	बा0अ0	6.71 रू0
5	हनुमानराम मोहनराम पि0 नारायण कौम–माली सा0 देह खातेदार।	608/1	0-10-00	बा0अ0	0.31 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. सुन्दरलाल पुत्र सुखा
जाति–खाती,निवासी–राबडियावास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

प्रतिवादीगण :–

1. बाबुलाल पुत्र तारूराम
2. किशोरमल पुत्र तारूराम
जातियान–खाती, निवासी–राबडियावास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
3. भंवरीदेवी पुत्री तारूराम पत्नी
मदनलाल खाती निवासी–जसनगर
तहसील–रियांबड़ी जिला–नागौर
4. केसरीदेवी पुत्री तारूराम पत्नी
कैलाश जाति–खाती निवासी–बलाडा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
5. हनुमानराम पुत्र नारायण
6. मोहनराम पुत्र नारायण
जाति–माली,निवासी–राबड़ियावास
7. लहरनाथ पुत्र शंकरनाथ
जाति–नाथ,निवासी–राबड़ियावास
8. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, (जिला–पाली)
9. प्रबन्धक, मारवाड़ ग्रामीण बैंक
शाखा–बलाड़ा, तहसील–जैतारण
10. प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे.
शाखा–जैतारण
तहसील–जैतारण जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:150/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–राबडियावास, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 608 रकबा 15–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल तथा ख.नं. 426 रकबा 9–18 बीघा, ख.नं. 427 रकबा 5–15 बीघा ख.नं. 609 रकबा 7 बीघा ख.नं. 906/1 रकबा 25 बीघा, किल किता–4 कुल रकबा 47–13 बीघा भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	किस्म
1	सुन्दरलाल पुत्र सुखाराम कौम-खाती सा0 देह खातेदार। रहन-एम0जी0बी0 बलाड़ा।	609 608 906/1 426 427	7-00-00 4-05-00 12-10-00 4-19-00 2-17-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 बा0दो0 बा0दो0	4.34 रु0 2.63 रु0 7.75 रु0 1.54 रु0 0.88 रु0
	योग	5	31-11-00		17.14 रु0
2	लेहरनाथ पुत्र शंकरनाथ कौम-नाथ 2/25 हि0 बाबूलाल किशोरलाल पि0 तारूराम 23/25 हि0 कौम-खाती सा0 देह खातेदार। रहन-किशोरलाल का हि0 एसबीबीजे शाखा-जैतारण	906/03	12-10-00	बा0अ0	7.75 रु0
3	बाबुलाल किशोरलाल पि0 तारूराम कौम-खाती सा0 देह खातेदार। रहन-किशोरलाल का हि0 एसबीबीजे शाखा-जैतारण	426/1 427/1	4-19-00 2-18-00	बा0दो0 बा0दो0	1.53 रु0 0.90 रु0
	योग	2	7-17-00		2.43 रु0
4	बाबुलाल किशोरलाल पि0 तारूराम, बाबुलाल किशोरलाल पि0 तारूराम, भंवरीदेवी केसरदेवी पुत्रियाँ तारूराम कौम-खाती सा0 देह खातेदार। रहन-किशोरलाल का हि0 एसबीबीजे शाखा-जैतारण	608/2	10-16-00	बा0अ0	6.71 रु0
5	हनुमानराम मोहनराम पि0 नारायण कौम-माली सा0 देह खातेदार।	608/1	0-10-00	बा0अ0	0.31 रु0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मिजानः-	09-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner